क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

डी. डी. ए. शापिंग–कम–आफिस कम्पलैक्स, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली - 110008

सं. 11-43619/101/Z-5/99 रजिस्टर्ड

दिनांक 21/6/99

सेवा में,

मैसर्स SHINE AND STANDARD

H.NO. 426/11 KAILASH PURI

NEW DELHI.

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (यथासंशोधित) की धारा 2(12)/1 (5) के अंतर्गत कर्मचारियों तथा फैक्टरियों/स्थापनाओं का पंजीकरण।

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अधिसूचना सं. एस० एफ० — 12(36) दिनांक 1-2-52 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (क्षेत्र) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन शामिल सभी फैक्टरियों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया गया है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त सरकार ने अधिनियम के उपबंधों का विस्तार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन अन्य स्थापनाओं पर नीचे उल्लिखित तारीख से किया है।

स्थापनाओं का विवरण	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	क० रा० बीमा (एसिक) योजना के विस्तार की तारीख
1. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई परिसर (उसके उप–क्षेत्रों सहित) में जहाँ दस अथवा इससे अधिक लेकिन किसी भी दशा में 20 से कम व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे तथा उसके किसी भी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारणतया विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है।	एफ-27(2)/75-लेब 28-3-75	29-3-75
2. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई व्यक्ति परिसर में नियोजित है अथवा नियोजित था तथा उसके किसी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारणतया विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है।	— वही —	— वही —
3. निम्नलिखित स्थापनाएं जहाँ पिछले 12 महीनों के दौरान किसी तारीख को 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे जैसे :–	— वही —	— वही —
1. होटल 2. रेस्तरा		
3. पूर्व दर्शन थियेटर सहित सिनेमा		
4. सड़क मोटर परिवहन	एफ-27(2)/74-लेब	28-3-76
5. समाचार पत्र परिवहन	दिनांक 26-3-76	
6. दुकानें	एफ-28(20)/88/आई.एम.पी.लेब दिनाँक 30-9-88	2-10-88

अधिनियम की धारा 2 (क) के अधीन ऐसी किसी फैक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराना आवश्यक है जहाँ उसके अध्याय 4 के अनुसार मुख्य नियोजक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को योजना में शामिल कराए तथा अधिनियम के अधीन उनके संबंध में अंशदान की अदायगी करें।

कृ०प०उ०